



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बँगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. 209 का नवीकरण/
Renewal OF TYPE APPROVAL No. 209**

**विषय/ SUB:- हेल्मेट फ्लाईंग आऊटर प्रोटेक्टिव एमके II
Helmet Flying Outer Protective MKII**

यह घोषित किया जाता है कि ऐसे मेडिकल सेल(डेबेल), रअविसं, बँगलोर द्वारा अभिकल्पित तथा विकसित और मेसर्स प्रगा इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड, कोईम्बतूर-641 004 द्वारा उत्पादित "हेल्मेट फ्लाईंग आऊटर प्रोटेक्टिव एमकेII" को पत्र सं. एरो/आरडी-124/140 दिनांक 20 मई 1977 द्वारा वर्ग अनुमोदन संख्या 209 दिया गया था और तदुपरांत पत्र सं. सेमिलाक/ 5070/टी.ए-209आर दिनांक 24 नवंबर 1997 द्वारा 31 दिसंबर 2000 तक नवीकरण किया गया था।

This is to state that the "Helmet Flying Outer Protective MKII" designed and developed by Aero Medical cell(DEBEL) DRDO Bangalore and manufactured by M/s Praga Industries Pvt Ltd. Coimbatore-641 004, has been issued with TA No.209 vide letter No. Aero/RD-124/140 dt. 20th May 1977 and was renewed up to 31st Dec 2000 vide letter No. CEMILAC/5070/TA-209R dt. 24th Nov 1997.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन को और नवीकरण किया जाता है तथा यह **30 जून 2008** तक वैध है। विक्रता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधी समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(वायुयान), रअविसं से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed and is valid up to **30th June 2008**. The vendor shall request RCMA (Aircraft), DRDO for subsequent renewals, three months before the expiry of Type Approval.

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 209R

दिनांक/Date : 25 June 2003

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856


(जी. लोकनाथा/ G.LOKANATHA)
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
offg Chief Executive (Airworthiness)